रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / परीक्षा / 2020 / 833 जबलपुर, दिनांक 03/12/2020

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, वल्लभ भवन, मंत्रालय के आदेश क्रमांक–एफ 770–771 / 2020 / 3873 भोपल, दिनांक 13.08.2020 के परिप्रेक्ष्य में ओपन बुक पद्धति के तहत **द्वितीय अवसर** हेतु आयोजित होने वाली सत्र 2019–20 की परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थि के लिये जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश –

1. परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–सारणी अनुसार प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं कक्षावार, विषयवार प्रश्न पत्र दिनांक 7 / 12 / 2020 दोपहर 2.00 बजे से उपलब्ध करवाये जायेंगे ।
2. स्नातक अंतिम वर्ष (नियमित एवं स्वाध्यायी) विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समस्त विषयो के प्रश्न पत्र अपलोड किये जावेंगे ।
3. स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष (स्वाध्यायी) एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (स्वाध्यायी) परीक्षार्थियों के लिए पूर्वानुसार अग्रेषण केन्द एवं जिले के अग्रणी महाविद्यालय संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइन्मेंट के लिए प्रश्न पत्र का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर कक्षावर, विषयवार एवं प्रश्नपत्र वार अपलोड करेंगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसमें उल्लेखित सभी कलॉम की पूर्ति करने के उपरांत उसे अपनी उत्तरपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न होगा । मुख्य पृष्ठ सहित उत्तरपुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी । मुख्य पृष्ठ सहित उत्तरपुस्तिका ए–4 साईज कागज की हो ।
5. परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर उत्तरपुस्तिका की कुल पृष्ठ संख्या (लिखित पृष्ठों की संख्या सहित) अंकित करेंगे ।
6. उत्तरपुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा कर साइज से 01 उंगली बराबर मोड़कर उपर नीचे और बीच में 03 स्टेपल पिंन लगाकर उसे उत्तरपुस्तिका के रूप में बना लें ।
7. शब्द सीमा सामान्यतः 250 शब्दों में होगी ।
8. परीक्षार्थी उत्तर लिखने हेतु केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे ।
9. यदि प्रश्नपत्र का प्रारूप खंडों में विभाजित है – 'अ', 'ब', 'स' तो प्रत्येक के लिये नवीन पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ किया जाये अर्थात् 'अ' खण्ड के उत्तर समाप्ति के उपरांत खण्ड 'ब' के लिये नवीन पृष्ठ से लिखना प्रारंभ किया जाये एवं खण्ड 'स' के उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारंभ किया जाये ।
10. उत्तरपुस्तिका स्वयं लिखित होनी चाहिये । स्वलिखित उत्तरपुस्तिका ना होने की स्थिति में परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
11. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तरपुस्तिका निकट के संग्रहण केन्दों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित तिथि पश्चात् उत्तरपुस्तिका स्वीकार नहीं की जायेगी ।
12. परीक्षार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे हैं उसी जिले के निर्धारित संग्रहण केन्द्र में उत्तरपुस्तिका जमा करेंगे ।

    जिले के बाहर से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय के जिले के अग्रणी महाविद्यालय में डाक द्वारा निश्चित समय–सीमा में उत्तरपुस्तिका प्रेषित करेंगे । विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिका जमा करने संबंधी तिथि पृथक से जारी की जायेगी ।
13. अग्रणी महाविद्यालय का डाक पता (पोस्टल एड्रेस) संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे ।
14. संग्रहण केन्द्र की सूची अग्रणी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दी जावेगी ।
15. प्रवेश पत्र को उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थल पर चस्पा करें अथवा स्टेपल करें ।
16. परीक्षार्थियों प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो रही हों तो महाविद्यालय से प्राप्त करें या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित परीक्षा कन्ट्रोल रूम से संपर्क करें।
17. समस्त परीक्षार्थियों को मुख्य पृष्ठ पर अंकित परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है ।
18. समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचना जारी की जायेगी । विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rdunijbpin.org का अवलोकन करते रहें ।

प्रभारी कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर